

"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DUTY
DISTRICT SCORING AFFAIRS

COURT FEE

Authorization No. 247

भारत

STAMP DUTY

00000

0000100

10 / 2017

बिहार
JUDICIAL

BIHAR

374152

Zero*Zero*Zero*Zero*OneZero*Zero**

8212



15 मुजफ्फरपुर

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लीकमगा (सदन का नाम) के लिए

निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं अशोक कुमार झा **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीमती काका झा,

आयु 48 वर्ष, जो ग्राम-पंच-पहसीक, थाना-कल्लू,

जिला-मुजफ्फरपुर

(डाक का

पूरा पता लिखें) का/को निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं बिजु सेना (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसी काट दे)

(2) मेरा नाम 15 मुजफ्फरपुर 89 ऑफिस जिला (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 218 के क्रम सं 134 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 8986905243 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ... नहीं है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

अशोक कुमार झा

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AD2PS5008PL	2011-2012	3,25,188
2.	पति या पत्नी	ATNPD8000D	2011-2012	195,250
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3			

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं होता

अक्षय कुमार भा

(ii) निम्नलिखित मामला (मामला) के विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सजा सुनाया गया है
(पूर्वोक्त)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजा सुनाने के आदेश की तारीख	लागू नहीं है
(ख)	उन मामलों के बारे में जहां न्यायालय ने सजा सुनाया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सजा सुनाया गया है	लागू नहीं है
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के बारे में	लागू नहीं है

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादेश दिया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के बारे में, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं है
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं है
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं है
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के बारे में और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं है

(अक्षय कुमार)

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था को नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	50,000	25,000	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	SBI Akhjar A/c. 10303501078 R/s. 2400 SBI Saran A/c. 29410200001066 R/s. 2200 H.F.C. Saran A/c 3441051256 R/s. 1264	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अशोक कुमार

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	LTC 538499416 250000 576033759 50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (गेज) डिस्ट्रीकरण संख्या आदि कर करने का वर्ष और रकम)	Motorcycle BR06K.2348 वर्ष-2005 रु. 30,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जो वस्तु, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	3 पीए धोने का मशीन का रु. 90,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	405867	55,000	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वागित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थानांशिका)	D.S. Area	11. Dist. and	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	3,20,1370	390	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	हां	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

810

उपरोक्त कुल 12 भाग

(ii)	विनिधान				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	65,000.00	35,000.00	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमे पर कोई विनिर्माण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	Allahabad Bank 6.1.12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से गिन किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	6.1.12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आश्रित (कमाई)

	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	राष्ट्रीय सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं.....व्यवसाय.....

(ख) पति या पत्नी.....शून्य.....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

मैट्रिक बि. बि. परिष्कारिणी परा, १६. १९८०
मास्टर लाहौर बि. २६. १९८०

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

उत्तीक (१२.१२.८०)

११°

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं- <u>अशोक कुमार</u>				
2	डाक का पता	<u>गांव-को 48वीं चामर-कटा</u> <u>डिस्ट-मुंगेर</u>				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>15 मुंगेर जिला</u>				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>शिवसेना</u>				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>शून्य</u>				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिला)	<u>शून्य</u>				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	<u>शून्य</u>				
7		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	<u>AD2015008P</u>	<u>2011-12</u>	<u>3,25,188</u>		
	(ख) पति या पत्नी	<u>ATNPD 80002</u>	<u>2011-12</u>	<u>195250</u>		
	(ग) आश्रित	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	<u>4,05,864</u>	<u>55,000</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
ख	स्थान आस्तियां	<u>6500000</u>	<u>35,00000</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>

पृष्ठ

अशोक कुमार

I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	3,50,00,000	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	65,00,000	35,00,000	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	40,58,64	55,00,00	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	65,00,000	35,00,000	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व	परीणाल 152400	गृहिणी	पुत्र	पुत्र	पुत्र
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	6.12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : प्रोफेसर दिहा कि फा (समिति पद) वर्ष 1980, - लायिक लाक म डम्प कि (संग्रह) मुद्रा (प्रमाणपत्र/डिल्लोगा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

अशोक कुमार

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19/4/14 को सत्यापित किया गया।

Advocate
S. P. Singh
19/4/14

Manmoh Prasad Singh



टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

19/4/14